



# हमीरपुर पुलिस



## अवैध शराब मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 675 कर्वाटर देशी शराब बरामद

थाना जलालपुर क्षेत्र के बसरिया गाँव के बाहर बरखण्डी अहिरवार के कुएँ से 98 कर्वाटर देशी शराब व 29 कर्वाटर खाली शीशी देशी शराब की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 58/21 धारा 60 EX ACT बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत करवाया था। विवेचना उ0नि0 श्री गुलाब सिंह को सुपुर्द की गयी थी। थाना हाजा में दिनांक 15.04.2021 को ग्राम बसरिया वन विभाग की खाली जगह से अभियुक्तगण 1. अनिल राजपूत पुत्र माधौ राजपूत 2. उदयभान राजपूत पुत्र कसिया निवासीगण बसरिया थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर 3. महेन्द्र पुत्र बालाधीन लोधी निवासी चण्डौत थाना जरिया जनपद हमीरपुर 4. भोला राजपूत पुत्र लाखन राजपूत निवासी ग्राम बसरिया थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर 5. अश्वनी राजपूत पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर की निशादेही पर 15 पेटी में 675 कर्वाटर देशी शराब जो अभियुक्तगणों द्वारा फर्जी तरीके से धोखा धाड़ी कर के अपमिश्रित करके रैपर व ट्रेड मार्क नकली बरामद होने पर मु0अ0सं0 69/21 धारा 420/467/468/471/272 IPC व 63A कापी राईट एक्ट सन् 1957 व 60 EX ACT बनाम उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है। अनिल राजपूत के बयान से कुएँ से बरामद शराब में दिनांक 15.04.2021 को मु0अ0सं0 58/21 में धारा 420/467/468/471/272 IPC व 63A कापी राईट एक्ट की बढोत्तरी की गयी व धारा 60 EX ACT में अभियुक्त 1. अनिल राजपूत पुत्र माधौ राजपूत 2. महेन्द्र पुत्र बालाधीन लोधी निवासी चण्डौत थाना जरिया जनपद हमीरपुर 3. भोला राजपूत पुत्र लाखन राजपूत निवासी ग्राम बसरिया थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर 4. अश्वनी राजपूत पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर के प्रकाश में आये। जिसको मा0 न्यायालय में पेशी कराकर जिला कारागार में दाखिल किया गया।

